रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222503
CG-DL-E-16102020-222503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3224] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
No. 3224] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3636(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त हो जाने के पश्चात्, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं0 5(च) के स्तंभ (5) में, "30 सितंबर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "30 मार्च, 2021" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 19-21/2020-आई.ए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार का.आ. 1562(अ), तारीख 21 मई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

S.O. 3636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-section (4) of rule 5 of the said rules in the public interest, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest, Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in sl. Number 5(f), in column (5), for the figures, letters and word "30th September, 2020", at both the places where they occur, the figures, letters and word " 30th March, 2021" shall be substituted.

[F.No. 19-21/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide number S.O 1562 (E), dated the 21st May, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.